2015.

133

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प सागर

निग -1744- I-16

लालसिंह पुत्र हल्का काछी

निवासी ग्राम खाताखेड़ी तहसील राहतगढ़

जिला सागर म०प्र० --- आवेदक

विरुद्ध

मोहनलाल वल्द हल्का काछी

निवासी ग्राम खाताखेड़ी तहसील राहतगढ़

जिला सागर म०प्र० --- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

आवेदक । निगरानी कर्ता न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ के राजस्व प्रकरण क्रमांक 25अ।27, वर्ष 2014-2015 में पारित आदेश दिनांक 26-4-2016 से परिवेदित होकर नीचे लिखे तथ्यों एवं आधारों पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजाखाताखेड़ी पटवारी हल्का नंबर -3 तहसील राहतगढ़ जिला सागर में स्थित भूमि खसरा नंबर 199, 256।1 रकवा क्रमशः 1-18 है० एवं 0-17 है० भूमि का बटवारा किये जाने बावत आवेदन आवेदक एवं अनावेदक के पिता हल्का द्वारा आवेदक एवं अनावेदक की सहमति से बटवारा किये जाने बावत श्रीमान तहसीलदार राहतगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर श्रीमान तहसीलदार राहतगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 2अ।27 वर्ष 2005-06 पंजीबद्ध कर उभयपक्षों को पूर्ण सहमति एवं कब्जे के अनुसार बटवारा प्रतिवेदन आहूत कर दिनांक 21-11-2005 को बटवारा आदेश पारित किया था, जिसमें हल्का की खसरा नंबर 256।1 रकवा 0-17 है०, आवेदक लालसिंह को खसरा नंबर 199 में से 0-91 है० एवं अनावेदक मोहन को खसरा नंबर 199 में से

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

जिला सागर

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1744-एक/2016

लालसिंह विरूद्ध मोहन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
08-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 25/अ-27/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 26-04-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) 08/3/19 सदस्य	